राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार

मिसल संख्या : 26/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.2017 निर्णय दिनांक : 03.10.2017

राजस्थान सरकार बनाम भवरलाल, गोपिराम पिता रामूनाथ जाति नाथ नि0 बूटीनाथपुरा

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शिव द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रामूनाथ पुत्र फतानाथ जाति नाथ निवासी बूटीनाथपुरा नें ग्राम बूटीनाथपुरा के खसरा नम्बर 516 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर में से रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. नाडी भूमि पर सम्वत 2074 में मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। तामील कुलन्दा की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल की मृत्यु होना पाई गयी। पटवारी हल्का द्वारा संशोधित सूचना प्रस्तुत की गयी, कि रामूनाथ पुत्र फतानाथ की मृत्यु हो गयी है। उनके पुत्र भवरलाल व गोपिराम के विरूध अतिक्रमण की कार्यवाही कि जावे। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार गैर सायलान भंवरलाल व गोपिराम के विरूध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। नोटिस की प्रति गैर सायलान भंवरलाल स्वय एवं गोपिराम की पत्नि ने प्राप्त की। गैर सायलान उपस्थित हुये तथा जवाब पेश कर कथन किया की उक्त भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ हैं, जो आबादी की भूमि है। तथा उक्त भूमि पर अतिक्रमण नही होना बताया गया।

गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना –पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है । एवं उक्त भूमि आज दिन भी राजस्व रिकार्ड में गैर मु. नाडी दर्ज है। गैर मु.

तहसीलदार तहसील कुचामन सिटी

नाडी किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में है जिसमें कभी भी किसी तरह का स्वामित्त प्राप्त नही हो सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि गैर सायलान ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है । एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।

गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम बूटीनाथपुरा के आराजी राज खसरा नम्बर 516 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर गै.मु. नाडी भूमि में से रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर लगान 0.10 का पच्चास गुणा से राशि 5/– अक्षरे पांच रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायलान को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार तहसील कुचामन सिटी

(भींमसिंह लखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0